

प्रकरण संख्या 156/2016 वाद
मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा जिला निम्बाहेडा
पीठासीन अधिकारी:- विकास पंचोली (आर.ए.एस)
उनवान

1. चंपालाल पिता कालू जी रेगर निवासी अरनिया माली तहसील निम्बाहेडा।

-वादी

बनाम

- श्रीमति भगवानी पत्नी मांगीलाल जी रेगर निवासी अरनिया माली तहसील निम्बाहेडा।
- श्रीमति लक्ष्मीबाई पत्नी बगदीराम जी जटिया निवासी अरनिया माली तहसील निम्बाहेडा।
- बगदीराम पिता सोराम जी रेगर निवासी अरनिया माली तहसील निम्बाहेडा।
- घीसीबाई पुत्री धन्ना जी जाति नायक निवासी अरनिया माली तहसील निम्बाहेडा।
- नारायणी बाई माता नानीबाई जाति नायक निवासी अरनिया माली तहसील निम्बाहेडा।
- सुखी माता नानीबाई नायक निवासी अरनिया माली तहसील निम्बाहेडा।
- भगवतीबाई पत्नी जमनालाल जी रेगर निवासी अरनिया माली तहसील निम्बाहेडा।
- राज. सरकार जरिये तहसीलदार साहब, निम्बाहेडा।

-प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53,88,183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
उपस्थित :- 1- श्री अनुराग औझा - अधिवक्ता वादी

:: निर्णय ::

दिनांक :-04.11.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री विकास पंचोली आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा बहाजिरी श्री अनुराग औझा वादी अधिवक्ता पैरोकार सरकार जयें तहसीलदार तहसीलदार निम्बाहेडा हाजिर मुद्दावलाह पेश कर हुक्म दिया जाता है वाद पत्र:- अंतर्गत धारा 53,88,183 राज. काश्तकारी अधिनियम का दावा स्वीकार किया जाकर वाके मौजा बड़ौलीघाटा तहसील निम्बाहेडा के आराजी नंबर 872 मीन रकबा 9 बीघा 10 बीस्वा तथा आराजी नंबर 1070/872 रकबा 1 बीघा भूमि का निर्णय व प्रारंभिक डिकरी दिनांक 29.06.2017 को जारी कर बंटवारा करने हेतु तहसीलदार निम्बाहेडा को मौका कमिश्नर नियुक्त किया गया था। तहसीलदार निम्बाहेडा ने बंटवारा फर्द विभाजन प्रस्ताव दिनांक 21.07.2021 को प्रस्तुत किया है जो निम्नानुसार है:-

1 बगदीराम पुत्र सोराम जटिया सा. रसूलपुर खातेदार रहन एसबीआई निम्बाहेडा

आराजी न.	रकबा	किस्म	लगान
1343 उत्तर दिशा	0.4550	चाही 3	8.65
कुल किता-1			8.65

2 लक्ष्मीबाई पत्नी बगदीराम जटिया सा. रसूलपुर खातेदार रहन एसबीआई निम्बाहेडा

आराजी न.	रकबा	किस्म	लगान
1343	0.4550	चाही 3	8.64
कुल किता-1			8.64

3 चंपालाल पिता कालू रेगर सा. अरनिया माली रहन आईसीआईसीआई निम्बाहेडा।

आराजी न.	रकबा	किस्म	लगान
1343 मध्य से	1.00	चाही 3	19.00
कुल किता-1			19.00



4 भगवानी पत्नी मांगीलाल रेगर सा. अरनिया माली खातेदार रहन बीओबी निम्बाहेडा

आराजी न. रकबा किस्म लगान
1343 दक्षिण से 0.49 चाही 3 9.31

कुल किता-1 0.49 9.31

अतः उपरोक्तानुसार बटवारां स्वीकार किया जाता है तहसीलदार निम्बाहेडा राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में अलग अलग खाते व लगाम कायम करे व पहुंच मार्ग सुनिश्चित करें। इस आशय का डिकरी पर्चा जारी किया जाता है खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करे।

चीजमुबलिक.....बाबत.....
खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शरहफीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक.....को अदा करे

बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 04.11.2024 को जारी की

गई।

मुहर


दस्तखत
ओहदा

मुददई	रूपया	पैसा	मुदयलाह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जी दावा	0	0	स्टाम्प अर्जी दावा	0	0
.....				
स्टाम्प वकालतनामा	..		स्टाम्प वकालतनामा		
.....				
स्टाम्प वजह सबूत	..		स्टाम्प वजह सबूत		
.....				
महनताना वकील	...		महनताना वकील		
.....				
खर्चा गवाहान.	...		खर्चा गवाहान		
.....	0	0	0	0
फीस कमिश्नर.	..		फीस कमिश्नर		
.....				
बाबत इजराय हुक्मनामा	.		बाबत इजराय हुक्मनामा		
.....				
मुतफरिक	.		मुतफरिक		
.....				
मीजान			मीजान		

नोट:- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन का चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिए।